फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दल्ला | बनाम | विपक्षी : श्री लोगर

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | पत्रावली संख्या : 122/21

कमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 7 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जो उनके मौरूस उदा जी के वक्त से चली आ रही हैं जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती देते हुये भूमि की पिलाई करने में बाधा पैदा कर रहें जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट (क) की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 4 खातेदार हैं। शेष प्रार्थीगण चौखा पिता उदा के वारिसान बताये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि बताया हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षीगण के पिता रोडा पिता उदा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार हैं। प्रार्थीगण का मूलवाद घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का हैं जिससे प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। प्रकरण में उपरोक्त तीनो बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि गौजा नाहरपुरा पटवार हल्का कुण्डई तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2070–73 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 60 की आराजी नम्बर 201, 202, 206, 214, 216, 222, 240, 268, 269/3, 290, 311/2, 316, 319, 320, 341, 355, 356, 357, 419, 429, 434, 435, 436, 483, 484, 485, 486, 504 किता 28 रकबा 32 बिघा 17 बिस्वा भूमि व परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 57 की आराजी नम्बर 197/1, 200/4 किता 2 रकबा 13 बिघा 12 बिस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:45:53 IST
Reason: SelfAttested